न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
11/2015/वाद पत्र	01.01.2015	16.06.2017

उनवान

कमला पत्नि नारायणलाल सांसी निवासी तहनाल गेट, रेगर बस्ती शाहपुरा
– वादिया

बनाम

1– तहसीलदार शाहपुरा
2– राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री संजयसिंह हाड़ा : अधिवक्ता वादिया
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कस्बा शाहपुरा तहसील शाहपुरा के बिजली विभाग के 132 के0वी0 जी0एस0एस0 के समीप पुराने आराजी नम्बर 3158/1 मी0 आराजीयात स्थित है। सेटलमेट के पश्चात् नये नम्बर 6025 रकबा 2.53 है0 बने है। पूर्व जमाबन्दी मे बिलानाम बंजड के रूप मे दर्ज है। आ0न0 6025 रकबा 2.53 है0 उपयोग एवं उपभोग वादिया पिछले करीब 40 वर्षो से करती आ रही है। समय समय पर बिलानाम होने से पेनाल्टियॉ भी लगाई गई जो जमा कराई गई है। वादिया के विरूद्व 1997 मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 318/97 दर्ज कर आ0न0 6025 पर अनाधिकृत सरकारी भूमि पर अतिचार करने बाबत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई थी और पेनाल्टी लगाकर प्रकरण का निस्तारण किया था। इसी प्रकार वर्ष 2002 मे वादिया के विरूद्व कार्यवाही की गई जिसके प्रकरण संख्या 43/02 है। वर्ष 2004 मे भी पेनाल्टी राशि 540/– अदा की थी। वादिया वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग निर्विवाद रूप से करती आ रही है एवं उक्त आराजीयात को विकसित एवं उन्नत करने के उद्देश्य से करीब 17–18 वर्ष पूर्व कच्चा कुआं खुदवाया था जिसको वर्ष 2010 मे पक्का करवाया जिससे कुये मे इंजन लगवाकर उक्त आराजीयात पर अच्छी फसल की पैदावार की जा सके। वादिया ने पिछले 40 वर्षो से उक्त आराजीयात को उपजाउ बनाने के लिये कई कार्य किये। वादग्रस्त आराजीयात के चारों तरफ पशुओ एवं मवेशियों से फसल की सुरक्षा हेतु कच्ची डोल भी लगवाई थी जिसमे कम से कम 3 लाख रूपये खर्च करने पड़े थे। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आदेश क्रमांक 2010/235 दिनांक 01.06.2010 विधिविरूद्व पारित कर वादिया को बिना सूचित किये एवं बिना सुनवाई का

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

अवसर दिये आ0न0 6025 मे स्थित कुये को बन्द कर दिया जिसको उन्हे कोई अधिकार नही था। वाटरपम्प चेनकूपी गडर, सपट्टा भी कुये मे मिट्टी डालकर दबा दिये गये। उक्त कार्य प्रतिवादी 01 द्वारा पीवनिया तालाब मे पानी की आवक एवं पेटा मे भराव क्षमता प्रभावित होना बताया। आदेश क्रमांक 2011/445 के तहत दिनांक 27.09.2011 को आ0न0 6025 रकबा 2.53 है0 वादिया की काश्त की गई को मवेशियों के मार्फत नष्ट की गई जो विधि विरूद्व है। सेटलमेन्ट के बाद बिलानाम गैर काबिल काश्त तलाई तालाब दर्ज किया गया जो विधि विरूद्व है। उक्त आराजीयात न तो तालाब पेटे की है व न ही चारागाह है। अतः वादिया के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री जारी की जावे कि ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के बिजली विभाग के 132 के0वी0 जीएसएस के समीप पुराने आ0न0 3158/1 मी0 आराजीयात स्थित है सेटलमेन्ट के पश्चात् नये नम्बर 6025 रकबा 2.53 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी बाबत वादिया के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त मे बाधा न तो स्वयं पहुँचावे व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से पहुँचाये।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं दिनांक 09.06.2017 तक पर्याप्त अवसर दिये जाने जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादिया के नियत किया गया। दिनांक 16.06.2017 को वादिया स्वयं का शपथ पत्र, पीन्टू उर्फ सोमेन्द्र सांसी का शपथ पत्र, अशोक कुमार रेगर का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किये गये जो क्रमश : पी0डब्ल्यू0 – 1, पी0डब्ल्यू0 – 2, पी0डब्ल्यू0 – 3 है। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादिया ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर एवं वादिया का 40 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त होने से वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया । पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि राजस्व रेकार्ड मे वादग्रस्त आ0न0 6025 रकबा 2.53 है0 बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म गै0मु0 पेटा दर्ज होकर अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय से प्रभावित होकर वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 का उल्लंघन होगा। कस्बा शाहपुरा तहसील शाहपुरा की आ0न0 6025 रकबा 2.53 है0 बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म गै0मु0 पेटा होने से वादिया को 03.06.2010 को नियमानुसार बैदखल कर दिया गया तथा उक्त आराजी में कच्चा कुआ भी खोद रखा था जिसे जे0सी0बी0 से भरवा दिया गया। नियमानुसार वादिया के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर उपरोक्तानुसार वादिया को बैदखल कर दिया गया है जो विधिसम्मत है। अतः वाद वादिया खारिज किया जावे। बहस पर मनन एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वादिया का वाद पत्र सिद्व नही होने के कारण वाद वादिया खारिज किया जाना उचित समझता हूँ :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से वाद वादिया खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, सोहपुरा (भीलवाडा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

ज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

जलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

मला पलि नारायणलाल सांसी निवासी तहनाल गेट, रेगर बस्ती शाहपुरा — वादिया

बनाम

1— तहसीलदार शाहपुरा
2— राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 11/2015 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :—

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से वाद वादिया खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 16 माह 06 सन् 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)